

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या - 2021/013

पत्रसंख्या-फार्म अनु0 - आ0घो0प0सं0-2020-21 /

332 /वाणिज्य कर,

कार्यालय:: कमिश्नर वाणिज्यकर, उ0प्र0 लखनऊ,

(फार्म - अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक- 02/09/2020

-विज्ञप्ति-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 56 के उपनियम (12) में कमिश्नर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत में कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्रों के विवरण निम्नवत प्रकाशित करती हूँ जिसके खो जाने / चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम - 56 के उपनियम (9) के अंतर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करती हूँ।

क्रम0सं0	नाम व पता	missing फार्म की प्रकार एवं संख्या	आयात घोषणा पत्रों / ओ0सी0स्टैम्प की सीरीज एवं खोने के क्रमांक
1	सर्वश्री बोम्बे प्लेस, देहरादून रोड, सहारनपुर टिन नं0 09771600389	फार्म-38, 03	1730012, 124203, 2643781, कुल 3 फार्म-38
2	सर्वश्री माधव एसोसिएट्स, 12- आवास विकास कालोनी बेतियाहाता गोरखपुर टिन नं0 09520203837	फार्म-एफ, 10	0113626, 27, 28, 29, 30, 0113643, 44, 45, 46, 47, कुल 10 फार्म-एफ
3	-उक्त-	फार्म-38, 14	0584832, 33, 34, 1373111, 2657368, 0584917, 2657332, 2018666, 1369124, 25, 26 1369130, 31, 32

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त -

तिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1) अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- (2) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर / समस्त जवाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0) वा0कर उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छाया प्रति भिजवाने का कष्ट करें।
- (3) डिप्टी कमिश्नर (उ0न्या0कार्य0) इलाहाबाद लखनऊ।
- (4) समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी / मण्डल / उपमण्डल खण्ड, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए / नष्ट हुए फार्म के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या (विधि-2 सत्यापन) (85-86)-201/ बिक्रीकर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं0-फार्म-31 (91-92)-फार्म मुद्रण-865 / बिक्रीकर दिनांक 02-11-91 के अनुसार कार्यवाही / अनुपालन / किया जाना सुनिश्चित करें।
- (5) समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी / स0द0, वा0क0 उत्तर प्रदेश
- (6) मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी
- (7) विधि / मेनुअल / नई इकाई को पाँच पाँच प्रतियाँ
- (8) सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ
- (9) पी0एस0 जैन अधिवक्ता सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति-ए 138 ए सेक्टर-27 नोएडा
- (10) श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर0-15/5 राजनगर, गाजियाबाद
- (11) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, RD-51 राजनगर, गाजियाबाद
- (12) महालेखाकार (कार्मशियल एवं रिसीट ऑडिट) यू0पी0, 6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ
- (13) समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश


(राम सजावन मिश्रा)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वाद / फार्म) वाणिज्य कर,
मुख्यालय , लखनऊ।